

**प्रपत्र - II/ FORM-II**

चल संपत्ति के संबंध में लेनदेन के लिए सी सी एस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(3) के तहत पूर्व सूचना देने या पूर्व मंजूरी लेने के लिए प्रपत्र।

Form for giving intimation or seeking previous sanction under Rule 18 (3) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 for transaction in respect of movable property.

(फॉर्म भरने से पहले कृपया अनुदेश पढ़ें)

(Please read the instructions before filing up the form)

1. सरकारी सेवक का नाम/ Name of the Government Servant :

क. पदनाम/ Designation :

ख. सेवा जिससे संबंधित है/ Service to which belongs :

ग. कर्मचारी सं./कोड सं./ Employee No./ Code No. :

2. वेतनमान और वर्तमान वेतन/ Scale of Pay and present pay :

3. आवेदन का कारण@/ Purpose of application :

4. चल संपत्ति का विवरण/ Description of Movable Property :

अधिग्रहण या निपटान/ Acquisition or disposal	अधिग्रहण या निपटान की तारीख/Date of acquisition or disposal	संपत्ति का विवरण \$/Details of property	अधिग्रहण या निपटान का तरीका ©/ Mode of acquisition or disposal	संपत्ति में आवेदक का हित पूर्ण है या आंशिक &/ Whether the applicant's interest in the property is in full or part.	संपत्ति का स्वामित्व */ Ownership of the property	संपत्ति की बिक्री/खरीद मूल्य ψ/ Sale/purchase price of the Property
(क)/(a)	(ख)/(b)	(ग)/©	(घ)/(d)	(ङ)/(e)	(च)/(f)	(छ)/(g)

5. अधिग्रहण के मामले में, स्रोत या स्रोत जिससे वित्तपोषित/वित्तपोषण किया जाना प्रस्तावित है Ω /

In case of acquisition, source or sources from which financed/ proposed to be financed:.....

.....

6. संपत्ति के निपटान के मामले में, इसके अधिग्रहण के लिए आवश्यक स्वीकृति/सूचना प्राप्त/दिया गया था (मंजूरी/पावती की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)/In the case of disposal of property, was requisite sanction/intimation obtained/given for its acquisition (a copy of the sanction/acknowledgement should be attached).....

.....

7. पार्टियों का विवरण जिनके साथ लेन-देन किया जाना / बनाया गया प्रस्तावित है/ Details of the Parties with whom transaction is proposed to be made/ has been made:

पार्टी का नाम और पता/ Name and address of the parties.	क्या पार्टी आवेदक से संबंधित है? यदि ऐसा है तो सम्बन्ध बताइए/Is the party related to the applicant? If so, state the relationship.	क्या आवेदक का पार्टियों के साथ कोई आधिकारिक व्यवहार था? €/ Did the applicant have any official dealing with the parties? €	पार्टियों के साथ आधिकारिक व्यवहार की प्रक्रिया/ Nature of official dealing with the party	लेन-देन की व्यवस्था कैसे की गई? ®/ How was the transaction arranged?
(क)/(a)	(ख)/(b)	(ग)/(c)	(घ)/(d)	(ङ)/e

8. उपहार द्वारा अधिग्रहण के मामले में, क्या सी सी एस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 13 के तहत मंजूरी भी आवश्यक है? α/ In case of acquisition by gift, whether sanction is also required under Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules, 1964? \_\_\_\_\_

9. कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य जिसका आवेदक उल्लेख करना चाहे/ Any other relevant fact which the applicant may like to mention \_\_\_\_\_

### **घोषणा/DECLARATION**

मैं,.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं। मैं अनुरोध करता / करती हूँ कि मुझे पार्टी से/को ऊपर वर्णित संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान की अनुमति दी जाए, जिसका नाम ऊपर मद 7 में उल्लिखित है।/

I, .....hereby declare that the particulars given above are true. I request that I may be given permission to acquire/dispose of property as described above from/to the party whose name is mentioned in item 7 above.

या/or

मैं, ..... एतद्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार मेरे द्वारा संपत्ति के प्रस्तावित अर्जन/निपटान की सूचना देता/देती हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।/

I, ..... hereby intimate the proposed acquisition/disposal of property by me as detailed above. I declare that the particulars given above are true.

स्थान/ Station:

हस्ताक्षर/Signature :

तारीख/ Date:

नाम/ Name:

पदनाम/Designation:

संपर्क संख्या/Contact Number:

आधिकारिक मेल आईडी/Official Mail ID:

उपरोक्त फॉर्म भरते समय पालन करने के अनुदेश:

1.

प्रतीक	क्र सं. / फील्ड सं.	अनुदेश
@	3.	आवेदन का उद्देश्य: लेनदेन के लिए मंजूरी या लेनदेन की पूर्व सूचना।
\$	4(ग)	(क) सी सी एस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 के अनुसार चल संपत्ति। (ख) वाहन के मामले में मेक, मॉडल और पंजीकरण संख्या भी।
©	4(घ)	अधिग्रहण/निपटान का तरीका। - खरीद/बिक्री/उपहार/बंधक/पट्टे या अन्यथा
&	4(ङ)	संपत्ति में आवेदक का हित पूर्ण है या आंशिक, आंशिक हित के मामले में, ऐसे हित की सीमा का उल्लेख किया जाना चाहिए।
*	4(च)	संपत्ति का स्वामित्व, यदि लेनदेन विशेष रूप से सरकारी कर्मचारी के नाम पर नहीं है, तो प्रत्येक सदस्य के स्वामित्व और हिस्से का विवरण दिया जाए।
ψ	4(छ)	संपत्ति का बिक्री/खरीद मूल्य (उपहार के मामले में बाजार मूल्य)
Ω	5	स्रोत या स्रोत जिनसे वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है:- (क) व्यक्तिगत बचत या (ख) विवरण देते हुए अन्य स्रोत।
€	7(ग)	क्या आवेदक का किसी भी समय अपनी आधिकारिक क्षमता में पार्टी के साथ कोई लेन-देन था, या निकट भविष्य में आवेदक के उसके साथ कोई व्यवहार होने की संभावना है? उत्तर <b>हां</b> या <b>नहीं</b> में लिखें। यदि हां, तो पूर्ण विवरण देना चाहिए।
®	7(ङ)	चाहे किसी सांविधिक निकाय के माध्यम से या किसी निजी एजेंसी द्वारा विज्ञापन के माध्यम से या दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से। पूरा ब्योरा देना होगा।
α	8	उत्तर <b>हां</b> या <b>नहीं</b> में लिखें।

2. उपरोक्त फार्म में, आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भागों का उपयोग किया जाए।
3. चाहे पिछली मंजूरी मांगी गई हो, आवेदन लेनदेन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**Instructions to follow while filling up the above form:**

1.

Symbols	Sl. No./ Field no.	Instructions
@	3.	Purpose of application: Sanction for transaction or prior intimation of transaction.
\$	4(c)	(a) Movable property as per the Rule 18 of the CCS (Conduct) Rules, 1964 (b) Make, model and also registration No. in case of vehicle
©	4(d)	Mode of acquisition/ disposal- purchase/ sale/ gift/ mortgage/ lease or otherwise.
&	4(e)	Whether applicant's interest in the property is in full or part, In case of partial interest, the extent of such interest must be indicated.
*	4(f)	Ownership of the property, in case the transaction is not exclusively in the name of the Government servant, particulars of ownership and share of each member may be given.
ψ	4(g)	Sale/ purchase price of the property (Market value in the case of gifts)
Ω	5.	Source or sources from which financed/ proposed to financed:- (a) Personal Savings or (b) other sources giving details.
€	7(c)	Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future? Write the answer in YES or NO. If yes, full details should be given
®	7(e)	Whether through any statutory body or a private agency through advertisement or through friends and relatives. Full particulars to be given
α	8	Write the answer in YES or NO.

2. In the above form, different portions may be used according to requirement.

3. Where previous sanction is asked for, the application should be submitted at least 30 days before the proposed date of the transaction.